(भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 23 अप्रैल, 2001

आदेश

का0आ0 , कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,(1957 का 20) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनयम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 1430 ,तारीख 19 जून 2000 के , भारत के राजपत्र , तारीख 1 जुलाई 2000 में प्रकाशित होने पर , उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और उन भूमियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) में या उस पर के अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन,सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए है ।

और , केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , सिंगरौली (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त कंपनी कहा गया है) जो एक सरकारी कंपनी है, ऐसे जिन्हें निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकार ,तारीख 1 जुलाई 2000 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय,निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

(1) उक्त कंपनी , उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी,

(2) उक्त कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों , जैसे अपील , आदि की बाबत , सभी व्यय भी , कार्यवाहियों के उक्त कंपनी वहन करेगी ,

(3) उक्त कंपनी, केन्द्रीय सरकार और उसके पदधारियों को ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार और या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति करेगी,

(4) उक्त कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को शक्ति नहीं होगी, और ,

(5) उक्त कंपनी, ऐसे निदेशों या शर्तों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं, पालन करेगी ।

संजय बहादुर

(संजय बहादुर)

उप सचिव, भारत सरकार

[illegible] 43015/ 7/96/ [illegible] /पी आर आई डब्ल्यू

सेवा में,

प्रबंधक (नक्शा [illegible])
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड
नई दिल्ली ।